संख्या-797/2024/आई/838462/23-1-24/008-23-1002(002)/96/2024-पार्ट-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 31 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अयोध्या मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11384/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2024-25, दिनांक 18.12.2024, पत्र संख्या-11456/CE-HQ1/RSN 5054/ADY/2024-25, दिनांक 23.12.2024, पत्र संख्या-11508/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2024-25, दिनांक 26.12.2024 व पत्र संख्या-11533/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2024-25, दिनांक 27.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **अयोध्या मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 34,27,85,000/- (रूपये चौंतीस करोड़ सत्ताईस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-4 अयोध्या	सींहौर घाट थरेरू सांरगापुर मार्ग (अ0जि0मा0) का	275 /2023/ 669 रासनि /23-1-23/001- 16 आरएसएन /2023	1114.71 1114.71 838.98 4.78 1109.93	1058.97	50.96	50.96

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	टी.सी.-2 दिनांक-16-03-2023				
2	नि.ख.-3 बाराबंकी	ग्राम मंजीठा में नाग देवता मंदिर के पीछे से होते हुए मोहम्मदाबाद नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग।	28/2024/आई/ 481052/23-1 - 24/001-23-1002(002)/2/2 024- दिनांक- 30-01-2024	116.24 116.24 68.65 16.10 100.14	59.06	41.08	41.08
3	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा शहर बाईपास मार्ग के कि0मी0 0.00 से 1.225 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	44/2024/आई/ 491625/23-1-24/001-23-1002(002)/22/ 2024-दिनांक- 09-02-2024	466.32 466.32 253.30 66.15 400.17	321.58	78.59	78.59
4	नि.ख.-4 अयोध्या	भिटौरा से कल्याणपुरवा होते हुए झाबर का पुरवा परसुही से भितर गावं सम्पर्क मार्ग होते हुए जासरपुर गगंापुर मार्ग से तिवारी का पुरवा सम्पर्क मार्ग	80 /2020/ 689 रासनि / 23-1-20-58 रासनि/ 20-दिनांक- 27- 03-2020	348.98 348.98 252.93 0.30 348.68	318.79	29.89	29.89
5	नि.ख.-4 अयोध्या	शंकरपुर डममर दास होते हुए पण्डित कापुरवा, नरहरपुरवा वाया मतुजा का पुरवाचकड़वा से होते हुए मियागंज सम्पर्क मार्ग।	80 /2020/ 689 रासनि / 23-1-20-58 रासनि /20-दिनांक- 27-03-2020	256.57 256.57 182.23 0.22 256.35	255.09	1.26	1.26
6	नि.ख.-4 अयोध्या	महोली बड़गांव डयोढ़ी मार्ग (अजिमा) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	64/2021/ 153 रासनि/ 23-1-21-81 रासनि/ 20- दिनांक-03- 03-2021	2236.79 2236.79 1654.38 11.42 2225.37	2195.85	29.52	29.52
7	नि.ख.-3 बाराबंकी	विकास भवन कोठीडीह जगनेहटा मार्ग (षहरी भाग) के पुनर्निर्माण का कार्य।	987/2023/आई /412075/23-1-23/001-23-1002(002)/191 /2023 -दिनांक- 20-10-2023	289.84 289.84 189.33 47.30 242.54	196.21	46.33	46.33
8	नि.ख.-3 बाराबंकी	विकासखण्ड बंकी में बाराबंकी हैरगढ़ रोड से बादीपुर सहलिया मार्ग (शहरी मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य।	1066 /2023/ आई/455252/ 23-1-23/001- 23-1002(002) /255/2023 -दिनांक- 22-12- 2023	467.46 467.46 265.13 121.00 346.46	229.36	117.10	70.26
9	नि.ख.-3 सुल्तानपुर	कामतागंज शम्भूगंज शिवगढ़ मधुपुर (अ0जि0मा0) चैनेज 12.370 से 14.370 तक	66 /2024 /505051/23-1-24/001-23- 1002 (002)/41 /2024- दिनांक- 26-02-2024	444.69 444.69 221.37 5.92 438.77	252.27	186.50	111.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		(शेष भाग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।					
10	प्रा.ख. बाराबंकी	असन्दा धनौली पटकनपुरवा मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी॰ 1 से 8 (800) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	955 /2023/ आई/402533/ 23-1-23/001- 23-1002/42 /2023 -दिनांक-07-10- 2023	1563.27 1563.27 874.18 131.00 1432.27	1132.13	300.14	180.08
11	प्रा.ख. अयोध्या	बीकापुर जाना मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	136 /2024/ आई/ 521955/ 23-1-24/ 001-23-9002(001)/27/2023-दिनांक-15-03-2024	4311.88 4311.88 3424.51 11.24 4300.64	1609.10	2691.54	603.60
12	प्रा.ख. अम्बेडकरनगर	गोसाईगंज भीटी महारूआ दोस्तपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0 183 ई) किमी 0.000 से 10.200 के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	247 /2023 /1523 रासनि /23-1-22/ 002-16 आरएसएन /2023 दिनांक-09-03-2023	3144.70 3144.70 2400.63 123.59 3021.11	2700.03	321.08	192.64
13	नि.ख.-3 बाराबंकी	रामनगर-महादेवा मार्ग (अ0जि0मा0) चैनेज 0.000 से चैनेज 3.200 कि0मी0 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	49 /2024/आई/496248 /23-1-24/001-23-1002(002)/28/2024 -दिनांक-15-02-2024	2149.80 2149.80 732.64 257.87 1891.93	1062.45	829.48	300.00
14	नि.ख.-3 बाराबंकी	रामनगर-सूरतगंज-फतेहपुर-कतुरीकला मार्ग (अ0जि0मा0) चै. 0.000 से चै0 1.000 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	49 /2024/आई/496248 /23-1-24/001-23-1002(002)/28/2024 -दिनांक-15-02-2024	538.14 538.14 208.72 33.00 505.14	267.03	238.11	90.00
15	नि.ख.-4 अयोध्या	रौनाही ड्योढ़ी मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1040 /2023 /आई /434407/23-1-23/001-23-1002 /23 /2023 -दिनांक-24-11-2023	2650.63 2650.63 1255.33 7.70 2642.93	2347.80	295.13	97.78
16	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में खजुरहट मिल्कीपुर अमानीगंज रूदौली रौजागांव मार्ग (प्र0जि0मा0-184 ई) के कि0मी0 41.900 से 48.900 के सुदृढ़ीकरण का कार्य	233/2024/आई/689 044/23-1-2024/001-23-1002(002)/133/202 4-दिनांक-10-07-2024	1582.95 1582.95 859.34 257.97 1324.98	316.59	1008.39	474.88
17	नि.ख.-4 अयोध्या	देवगांव मठिया से करमनपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	319 /2024/133-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-सीओएम./2024-दिनांक-21-08-2024	29.68 29.68 16.17 4.83 24.85	5.94	18.91	16.90

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
18	प्रा.ख. सुल्तानपुर	कटका-मायंग मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	08 /2024 /आई/465844/23-1-24/001-23-1002 /58 /2023 -दिनांक-09-01-2024	4088.59 3867.91 1993.48 978.51 3110.08	1478.04	1632.04	380.06
19	नि.ख. अमेठी	सेमरौता कठौरा मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	955 /2023/आई/402533 /23-1-23/001-23-1002/42/2023 - दिनांक-07-10-2023	3478.24 3478.24 1943.95 574.36 2903.88	2455.04	448.84	182.19
20	नि.ख. अमेठी	जे0जी0ए0पी0 रोड के किमी 12 से बाबूपुर दुर्गागंज एवं हरगांव पूरे अल्फ सिंह वाया पूरे बख्तावर होते हुए रेवड़ापुर (चैनेज 0.000 से 0.400) एवं बूढ़ेबाबा मन्दिर से हरगांव मोड़ (चैनेज 0.000 से 0.400) सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	114 /2024/आई/521440 /23-1-24/001-23-1002(002)/80/2024- दिनांक-15-03-2024	199.27 199.27 143.34 0.16 199.11	189.15	9.96	9.96
21	नि.ख.-4 अयोध्या	चैधरीपुर पूरे तिवारी प्राइमरी स्कूल से अकमा पूरे चूडामणि सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	319 /2024/133-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-सीओएम./2024- दिनांक-21-08-2024	76.11 76.11 31.15 9.90 66.21	15.22	50.99	39.58
22	नि.ख.-4 अयोध्या	खडसेपुर रानिकपुर मार्ग से सहादत का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	319 /2024/133-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-सीओएम./2024- दिनांक-21-08-2024	33.51 33.51 18.91 4.59 28.92	6.70	22.22	19.96
23	नि.ख.-4 अयोध्या	खण्डासा घोडवल सथिनघाट मार्ग से झलियन का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	319 /2024/133-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-सीओएम./2024- दिनांक-21-08-2024	8.59 8.59 4.32 1.68 6.91	1.72	5.19	4.61
24	नि.ख.-4 अयोध्या	खण्डासा घोडवल मार्ग से खडवड का पुरवा होते हुये शिवनाथपुर तक	319 /2024/133-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-	44.69 44.69 26.68 6.48 38.21	8.94	29.27	26.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	सीओएम./2024- दिनांक-21-08-2024				
25	नि.ख.-4 अयोध्या	गोसाई बाबा के स्थान से पाकडपुर सम्पर्क मार्ग।	319 /2024 /133- आरएसएन/ 23-1-2024/001-05(बी)/ आरएसएन-सीओएम. /2024- दिनांक-21-08-2024	96.50 96.50 48.32 18.68 77.82	19.30	58.52	51.99
26	नि.ख.-4 अयोध्या	अमरगंज मुर्तिहन भवानी मार्ग पर सहजनमऊ चैराहे से घरौली तक सम्पर्क मार्ग।	319 /2024/ 133- आरएसएन/ 23-1-2024/ 001-05(बी)/ आरएसएन-सीओएम. /2024-दिनांक-21-08-2024	64.11 64.11 32.56 12.44 51.67	12.82	38.85	34.51
27	नि.ख.-4 अयोध्या	सतनापुर रायपटटी मार्ग से बस्ती का पुरवा होते हुये अडबड सरैया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	319 /2024/ 133- आरएसएन /23-1-2024/001- 05(बी)/ आरएसएन-सीओएम. /2024-दिनांक-21-08-2024	47.20 47.20 23.58 9.42 37.78	9.44	28.34	25.15
28	नि.ख.-4 अयोध्या	भटपुरा जगन्नाथ मार्ग के किमी0-1 से उस्मान तिराहा होते हुये महापुरुष बाबा गदुरही बाजार तक सम्पर्क मार्ग।	345 /2024 /152- आरएसएन /23-1-2024/ 002-05(बी)/ आरएसएन- सीएमओ /2024- दिनांक-23-08-2024	106.54 106.54 53.13 21.23 85.31	19.87	65.44	58.23
29	नि.ख.-4 अयोध्या	पूरा उर्फ सुमेरपुर मार्ग से विपत का पुरवा होते हुये पूरे भदरी सम्पर्क मार्ग।	345 /2024/ 152- आरएसएन /23-1-2024/ 002-05(बी)/ आरएसएन- सीएमओ /2024- दिनांक-23-08-2024	93.11 93.11 45.41 18.10 75.01	17.36	57.65	51.35
30	नि.ख.-4 अयोध्या	अकमा चैराहा से धमथुआ तक सम्पर्क मार्ग।	345 /2024/ 152- आरएसएन/ 23-1-2024/002-05(बी)/ आरएसएन- सीएमओ/ 2024- दिनांक-23-08-2024	82.66 82.66 41.46 16.54 66.12	15.41	50.71	45.12
31	नि.ख.-4 अयोध्या	चिरेंधापुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	345 /2024 /152- आरएसएन /23-1-2024 /002-05(बी)/ आरएसएन- सीएमओ /2024- दिनांक- 23-08-2024	54.11 54.11 26.04 10.40 43.71	10.09	33.62	29.96
32	नि.ख.-4 अयोध्या	पूरे शिवा पाण्डेय का पुरवा सम्पर्क मार्ग।	345 /2024/152- आरएसएन /23-1-2024/ 002-05(बी)/ आरएसएन-	72.85 72.85 36.43 14.56	13.58	44.71	39.78

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			सीएमओ/ 2024- दिनांक-23-08-2024	58.29			
33	नि.ख.-4 अयोध्या	अटेसर सम्पर्क मार्ग से कुरातन मिश्र का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	500 /2024/ 198- आरएसएन/ 001/05(बी)/ आरएसएन-सीओएम- मिल्कीपुर/ 2024 - दिनांक-01-10-2024	25.41 25.41 13.52 5.47 19.94	4.73	15.21	13.49
						कुल योग-	3427.85

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 34,27,85,000/- (रूपये चौंतीस करोड़ सत्ताईस लाख पचासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-797/2024/आई/838462(1)/23-1-24/008-23-1002(002)/96/2024-पार्ट-1, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in